

संदर्भ संख्या

/यूपीसीडा/

दिनांक

कार्यालय आदेश

प्रदेश में वेयर हाउसिंग तथा लाजिस्टिक इकाईयों की स्थापना हेतु लागू उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक नीति-2018 के प्रस्तर 3.2(1) एवं प्रस्तर 5 में संशोधन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-6 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19/2020/1421/77-6-2020-5(एम)/2017 दिनांक 12.06.20220 (छायाप्रति संलग्न) को प्राधिकरण की संचालक मण्डल की दिनांक 18.09.2020 को आहूत 36 वीं बैठक में अंगीकृत किया गया है। तत्कम में एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि प्राधिकरण द्वारा समस्त वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक पार्कों तथा इकाईयों से सम्बन्धित परियोजनाओं में उक्त शासनादेश में सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।  
संलग्नक: यथोक्त।

( मयूर माहेश्वरी )  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पू०सं० 1753-1757/यूपीसीडा/1A/कानपुर/12/10/2020

दिनांक: 12/10/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, मुख्यालय कानपुर
2. वित्त नियंत्रक, यूपीसीडा, मुख्यालय कानपुर
3. समिति के समस्त सदस्यगण, उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा० मुख्यालय, कानपुर।
4. सहा० महा प्रबन्धक(सा०/प्रा०) श्री दीक्षित, परियोजना सेल, यूपीसीडा कानपुर।
5. सहा० महाप्रबन्धक(औ०क्ष०), यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर
6. प्रभारी(कम्प्यूटर अनुभाग) यूपीसीडा, मुख्यालय कानपुर
7. गार्ड फाईल।

Ms. Anki Ka  
12/10

( मयूर माहेश्वरी )  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी